(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 54 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि वह बांसुरी स्वीट्स खेमी सती रोड़, मुनी आश्रम के सामने झुन्झुनू पर बतौर विक्रेता काम करता है। वह फर्म का मालिक नही है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी बांसुरी स्वीट्स के नाम से खेमी सती रोड़, मुनी आश्रम के सामने झुन्झुनू में मिठाई की दुकान है। जहां वह मिठाई बनाकर बेचान करता है। उसकी दुकान से बुन्दी लड्डू (घी, बेसन व खाद्य रंग से निर्मित) का सैम्पल लिया गया था जो सब स्टैण्डर्ड पाया गया है। सैम्पल लिये जाने के बाद से हमारी दुकान पर खाद्य रंग का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया गया है। तथा साफ–सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाने लगा है। अतः मेरे प्रकरण को ड्रॉप करते हुए धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2074/एक्ट/2022/2110 दिनांक 22.06.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ बुन्दी लड्डू (घी, बेसन व खाद्य रंग से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड (Sub standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 नरेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद फर्म में विक्रेता की हैसियत से कार्य करता है अतः धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाता है। अनावेदक संख्या 2 स्वयं फर्म का मालिक है तथा स्वयं मिठाई तैयार कर बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ बुन्दी लड्डू (घी, बेसन व खाद्य रंग से निर्मित) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री विकास कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद, मै0 बांसुरी स्वीटस, खेमी सती रोड़, मुनी आश्रम के सामने झुन्झुनू निवासी वार्ड नम्बर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	49, मित्तल कॉलोनी, पुराना बस स्टैण्ड के पास झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/- दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:30:58 IST
Reason: SelfAttested